न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 76/2021

उनवान

राधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–22.4.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी कर निम्न आराजी वादी की आवंटनशुदा खातेदारी की है :–

वंकिंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3958	14–13–0	6253	2.37
		6253/6659	0.56
3959	1–11–0	6302	0.22
		6254 मिन	0.25

ग्राम तिहारी के वंकिंग खसरा नम्बर 3958/1 रकबा 4–17–0 व 3959/1 रकबा 0–13–10 की आराजी वादी को दिनांक 23.06.1985 को आवंटन की गयी। उक्त आवंटन का वंकिंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 21.05.1987 से गैर खातेदारी तथा नामा. संख्या 283 दिनांक 17.06.1992 से खातेदारी दी गयी। आवंटन दिनांक से वादी आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। 3958/1 रकबा 4–17–0 के हाल खसरा नम्बर 6253/5659 रकबा 0.56 व 6253 रकबा 2.37 व 3959/1 रकबा 0–13–10 के हाल खसरा नम्बर 6302 रकबा 0.22 व 6254 मिन रकबा 0.25 बने है। वादी को वंकिंग खसरा नम्बर 3958 में से 4–17–0 व 3959 में से 0–13–10 भूमि आवंटित हुयी थी। इस प्रकार वादी के नाम कुल 5–10–10 पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के बाद हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर [illegible]/6659 रकबा 0.56 में 1/8 हिस्सा अर्थात 0.07 भूमि ही खातेदारी दी गयी। शेष [illegible] भूमि 5–3–1 हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6254 रकबा [illegible] दी गयी। अतः हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6254 रकबा [illegible] में से रकबा 5–03–10 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया [illegible] वंकिंग खसरा नम्बर 3958/

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:32 IST
Reason: SelfAttested

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

[illegible] 4–17–0 व 3959/1 रकबा 0–13–10 नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 21.05.1987 से [illegible] राधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। नामान्तकरण [illegible] 283 दिनांक 17.16.1992 से उक्त आराजी पर खातेदार प्रदान की गयी। वंकिंग खसरा [illegible] 3958 के हाल खसरा नम्बर 6253/2.37 व 6253/6659 रकबा 0.56 बने है। हाल खसरा नम्बर 6253/6659 रकबा 0.56 में वादी के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6254 रकबा 0.25 वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। खसरा नम्बर 6302 खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का नाम नही है। आराजी मुतनाजा सिवासयचक होने से वादी को बेदखल किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया है। भूमि सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व आवंटन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 व 2 :–</u>

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम तिहारी के वंकिंग खसरा नम्बर 3958 रकबा 14–13–0 व 3959 रकबा 1–11–0 सिवायचक दर्ज थे। वंकिंग खसरा नम्बर 3958 में से 4–17–0 व 3959 में से 0–13–10 आराजी वादी को कैम्प ग्राम पंचायत तिहारी में दिनांक 23.06.85 को आवंटित हुयी। वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन दस्तावेज मे कम संख्या 9 पर वादी का नाम दर्ज है। जिससे आवंटन के तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 21.5.1987 द्वारा गैर खातेदारी तथा नामान्तकरण संख्या 283 दिनांक 17.06.1992 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त दोनो नामान्तकरण का अमल दरामद तत्कालीन वंकिंग जमाबंदी में भी वादी के नाम किया गया। जिसकी ताईद वादी द्वारा प्रस्तुत वंकिंग जमाबंदी तथा नामान्तकरण से होती है। वंकिंग खसरा नम्बर 3958 रकबा 14–13–0 के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6253/6659 रकबा 0.56 बने है। हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आराजी में 4–17–0 भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख वंकिंग जमाबंदी अनुसार वादी के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से आवंटित की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा [illegible] राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही [illegible] आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...रा उक्त आराजी के आवंटन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में से हटायी है। वंकिंग खसरा नम्बर 3959 रकबा 1–11–0 के हाल खसरा नम्बर 6302 रकवा 0.22 व 6254 रकवा 0.25 बने है। खसरा नम्बर 6302 खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का नाम नही है। किन्तु इस खसरा नम्बर के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। वंकिंगि खसरा नम्वर 3959 का रकबा 1–11–0 था किन्तु हाल खसरा नम्बर का रकबा 0.47 होता है जो पूर्व रकबे से अधिक है। वादी द्वारा सम्पूर्ण रकबे की स्थिति स्पष्ट नही की है। खसरा नम्बर 3958/1 की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी हाल खसरा नम्बर 6253 रकवा 2.37 में से 0.776 आराजी पर खातेदारी प्राप्त के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.776 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

राधेश्याम बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 76/2021
पेश करने की दिनांक – 14.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.776 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 22 माह अप्रेल सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद